फोन नं0 0612-2219545 (का0)
फैक्स नं0-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

27-09-2013

आवेदक **खालिद महमूद**, पिता–मो0 सलाउद्दीन, सा0–फ्लैट सं0–109, हारूणनगर, पो0+थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना से प्राप्त एक .315 बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–299/2011 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–27.09.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे transportation का कार्य करते हैं। उनके पिता के नाम एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति सं0–910/1977, भोजपुर प्राप्त है। व्यापार के सिलसिले में उन्हें कई बार किसी समय भारी मात्रा में नगद राशि के साथ भ्रमण करना पड़ता है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–647/गो0, दिनांक–26.06.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ द्वारा थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ की अनुशंसा के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अनुशंसित कर भेजा गया है। थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक transportation का कार्य करते हैं। आवेदक के पिता के नाम एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति सं0–910/1977, भोजपुर प्राप्त है। यद्यपि आवेदक को स्पष्ट रूप से किसी अपराधिक गिरोह से खतरा नहीं है। फिर भी आवेदक एक व्यापारी हैं। Transport का व्यवसाय है, उन्हें पैसै लेने हेतु रात्री में आना–जाना पड़ता है, जिससे भय बना रहता है। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का

सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त खालिद महमूद, पिता–मो0 सलाउद्दीन, सा0–फ्लैट सं0–109, हारूणनगर, पो0+थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक .315 बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री महमूद को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।